बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०–निग / सारा–04 (पथ) आरोप–67 / 2025 175(S) / पटना, दिनांक 08/01/26

माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, शिवहर अंतर्गत घोषित योजनाओं की प्रगति के संबंध में दिनांक–25.11.2025 को तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा समीक्षा की गयी, जिसमें अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन); मुख्य अभियंता, उत्तर; कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर, श्री प्रदीप कुमार झा एवं संबंधित संवेदक उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में शिवहर–मीनापुर–कांटी पथ परियोजना के संवेदक द्वारा बताया गया कि L.O.A. (Letter of acceptance) दिनांक–16.07.2025 को निर्गत किया जा चुका है, परन्तु कार्यपालक अभियंता, श्री झा द्वारा अब तक एकरारनामा नहीं किया गया है, जबकि एकरानामा करने हेतु संवेदक के तरफ से सभी औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं यथा– दिनांक–22.09.2025 को ही एकरारनामा हस्ताक्षरित कर प्रमंडल कार्यालय में जमा करने सहित Design हेतु Proof Consultant का चयन आदि को पूरा किया जा चूका है एवं योजना हेतु बाधारहित 80% भूमि भी उपलब्ध है।

2. E.P.C. Mode के तहत् L.O.A. निर्गत होने के एक माह के अंदर एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है। तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा भी दूरभाष पर कार्यपालक अभियंता, श्री झा को एकरानामा कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया था। इसके बावजूद श्री झा के द्वारा L.O.A. निर्गत होने के लगभग 04 माह के पश्चात् भी संवेदक के साथ एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया, जिसके फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक अतिशय विलंब हो रहा है। जिसके लिए श्री झा, कार्यपालक अभियंता उत्तरदायी हैं। उक्त कृत्य श्री झा की उदासीनता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

3. अतः श्री प्रदीप कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री झा का मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि के दौरान श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के अध्याधीन शर्त्तों के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु नियमानुसार अलग से आरोप पत्र निर्गत की जायेगी।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

E/Nigrani Section-2011-2012/Devendra/Adhisuchna & Ka. Adesh-2014

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी (वि०वै०दा०नि०को०), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा— आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव, मुख्यालय / लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1 / 2 / 6 / 13 / 14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री प्रदीप कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 176(5) **/ पटना, दिनांक**...08/01/26
प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

8/1/2026

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।